

270

न्यायालय: मानवीय राजस्व मैडल म०प्र० ग्रामियर कैम्प रीवा, म०प्र०.

राजनिगरानी क्र०/

/016

378



Rs 30/-

विश्वनाथ यादव तनयरामसाथ यादव निवासी जाडा, तहो हनुमना जिला

रीवा, म०प्र०.

R 5502-ग-116

----- आवेदक

बनाय

ला- विश्वनाथ यादव तनयरामसाथ यादव पाण्डेय निवासी ग्राम विरहा, प्रयागदत्त

(संस्कृत क्र०) रीवा
राजस्व तहो हनुमना जिला रीवा, म०प्र०.

०१- राधेश्यामतनय रामप्रसाद निवासी विरहा प्रयागदत्त तहो हनुमना जिला
रीवा, म०प्र०.

०३- स्वामी कातिकेय तनय रामप्रसाद पाण्डेय निवासी विरहा प्रयागदत्त
तहो हनुमना जिला रीवा, म०प्र०.

०४- रमेश कुमार तनय कौशल प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम विरहा, प्रयागदत्त
तहो हनुमना जिला रीवा, म०प्र०.

----- अनावेदकण।

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी हनुमना जिल रीवा, म०प्र० प०क०

७१-६-३/१५-१६ आदेश दिनांक 20.09.016

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भ०रा०स० 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

१०१। यह कि आवेदक द्वारा नायव तहसीलदार हनुमना वृत्त छठ्हरी, के घटा
भूमि नं० 457/३-क रख्वा ७.१७ए० स्थित ग्राम गाडा राजस्व निरीक्षक मैडल छठ्हरी
तहो हनुमना जिला रीवा म०प्र० का भूमि का नक्शा तरमी म संशोधन आवेदनपत्र प्रस्तुत
किया गया। तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन तलवे किया। राजस्व

बिरुद्धान

१०७वी निवासी
राजस्व तहो
रीवा, म०प्र०

११.१६

Abode
निवासी पाठ्य
२१.११.२०१६

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

क्रमांक निग० / 5502—दो / 2016

जिला—रीवा

विश्वनाथ यादव / विष्णु प्रसाद पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भूनाथ शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 71/ए-३/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">(बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>	